भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3617
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप

3617. श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या एग्रीटेक स्टार्टअप भारत में कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और किसानों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु लक्षित योजना है;
(ख) क्या एग्रीटेक स्टार्टअप उर्वरक, बीज और कीटनाशकों जैसे कृषि इनपुट उत्पादों की आपूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों हेतु कई लाइसेंसों के स्थान पर एकल सरलीकृत और डिजिटल लाइसेंस प्रदान करने की योजना है; और
(ग) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पीएम-आर.के.वी.वाई. (प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देता है। यह एग्रीटेक स्टार्टअप सहित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार, प्रौद्योगिकी-संचालित, उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नैबवेंचर्स लिमिटेड के माध्यम से एग्रीटेक सहित स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए सितंबर 2024 में एग्रीश्योर योजना आरंभ की गई है। राष्ट्रीय कृषि नवाचार कोष (एन.ए.आई.एफ.) आई.सी.ए.आर. संस्थानों के नेटवर्क में अपने 50 कृषि-व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्रों (ए.बी.आई.सी.) के माध्यम से प्रौद्योगिकी और कौशल उन्नयन के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है।

(ख): उपरोक्त योजनाओं के तहत प्रोत्साहित किए जाने वाले स्टार्टअप विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं जैसे कि कृषि मशीनीकरण, सटीक कृषि, पोस्ट-हार्वेस्ट और मूल्य श्रृंखला का निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला और कृषि इनपुट आदि। उर्वरक, बीज और कीटनाशक जैसे उत्पादों के लिए कृषि इनपुट लाइसेंस राज्य सरकारों के नामित अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं।

(ग): उपरोक्त पैरा (क) में उल्लिखित स्टार्टअप का समर्थन करने वाली सभी योजनाएं ऑपरेशनल हैं।

****